न्यायालय-सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी आशा कुमारी,जिला न्यायाधीश

अपील फौजदारी प्रकरण संख्या-**85/2022**

शिवलाल पिता कोदरा निवासी जवाहरनगर थाना धरियावद जिला प्रतापगढ
--अपीलार्थी/मुलजिम

-बनाम-

राजस्थान राज्य सरकार जरिये लोक अभियोजक, प्रतापगढ़ --रेस्पोडेंट/राज्य

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक-23.09.2022 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री हरिश मेनारिया द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या-240/2018 राज्य बनाम शिवलाल में पारित

उपस्थिति-
1.श्री अमजद खां- अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से
2.श्री तरूणदास बैरागी-लोक अभियोजक, रेस्पोडेंट राज्य की ओर से

++ निर्णय ++ दिनांक-**21.08.2026**

01. अपीलार्थी/मुलजिम ने यह अपील अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धरियावद द्वारा धारा-279,337,338,304 ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा-146/196 एमवी एक्ट में दोषसिद्ध किये जाने से व्यथित होकर पेश की। आदेश में अपीलार्थी को मुलजिम व रेस्पोडेंट को राज्य के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

02. अपील उद्भव होने के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक-18.05.2016 को परिवादी खेमराज ने रिपोर्ट पेश की कि सुबह करीब साढे आठ बजे उसके साले कालुलाल का लडका राहुल अपनी वीकी पर गदवास से साठपुर जा रहा था जिसके साथ दिशांत चौधरी भी था। साठपुर मोड के पास सामने से ट्रेक्टर नम्बर आर.जे.27 आरए-0608 को उसका चालक मालिक मोहन कम्पोण्डर का छोटे वाला लडका तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ आया एवं साले के लडके के मोपेड के टक्कर मार दी जिससे राहुल की मौके पर चोटें लगने से मृत्यु हो गई तथा दिशांत गम्भीर रूप से घायल हो गया। वह तथा बंशीलाल उनके पीछे पीछे आ रहे थे जो घटना देखी है। इस पर पुलिस थाना धरियावद में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-117/2016 दर्ज कर बाद तफतीश मुलजिम के खिलाफ धारा-279,337,338,304 ए भादसं0 व धारा-146/196 मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरोप पत्र पेश हुआ।

03. विचारण न्यायालय द्वारा मुलजिम को धारा- 279,337,338,304 ए भादसं0 व धारा-146/196 मोटर वाहन अधिनियम आरोप सारांश सुनाया गया तो मुलजिम द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाहने पर शहादत अभियोजन में पी०ड०-1 केसरीमल, पी0 ड 0-2 खेमराज, पी0 ड 0-3 डाक्टर अवधेश, पी0 ड 0-4 बंशीलाल, पी0 ड 0-5 दीक्षांत, पी0 ड 0-6 मांगीलाल, पी0 ड 0-7 उंकार पी0 ड 0-8 देवीलाल, पी0 ड 0-9 ज्ञानसिंह, पी0 ड 0-10 हुरजी के बयान कराये व दस्तावेज प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-13 को पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

04. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के तहत परीक्षित किये जाने पर मुलजिम ने अभियोजन पक्ष की शहादत को गलत होना बताया, परन्तु साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

05. बहस अन्तिम सुनी जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित कर मुलजिम को धारा-279,337,338,304 ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा-146/196 एमवी एक्ट की दोषसिद्धि पर धारा-279 भारतीय दण्ड संहिता के लिये छः माह के साधारण कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड पन्द्रह दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-337 भारतीय दण्ड संहिता के लिये तीन माह के साधारण कारावास व पांच सौ रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड दस दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-338 भारतीय दण्ड संहिता के लिये एक वर्ष के साधारण कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड पन्द्रह दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास,धारा-304 ए भारतीय दण्ड संहिता के लिये दो वर्ष के साधारण कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से एवं धारा-146/196 मोटर वाहन अधिनियम के लिये एक हजार रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड पन्द्रह दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया, जिससे व्यथित होकर मुलजिम की ओर से यह अपील पेश की गई है।

06. बहस अपील सुनी गई एवं पत्रावली व जैर अपील निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय को यह देखना है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने में कोई अवैधता,अनियमितता या कानूनी भूल तो नहीं की गयी है?

07. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि परिवादी व बंशीलाल घटना के चक्षुदर्शी गवाह नहीं है। उक्त दोनों व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाह उंकार, हुरजी और देवीलाल द्वारा सूचित करने के बाद मौके पर पहुंचे है। उंकार, हुरजी और देवीलाल चश्मदीद गवाहान पूर्णतया पक्षद्रोही हुए है। परिवादी व गवाह बंशीलाल घटना के बाद मौके पर उंकार, हुरजी व देवीलाल द्वारा सूचना देने पर पहुंचे है, जो इन तीनों गवाहान की साक्ष्य से साबित है। आगे तर्क दिया कि परिवादी ने प्रथम सूचना में मोहनलाल कम्पाउण्डर के छोटे लडके द्वारा ट्रेक्टर चला कर दुर्घटना कारित करने का उल्लेख किया एवं अनुसंधान के दौरान भी ऐसे ही तथ्य प्रकट किये, लेकिन मुलजिम शिवलाल के पिता का नाम मोहनलाल नहीं होकर कोदरा है। धारा-133 एमवी एक्ट के नोटिस में मोहनलाल वाहन स्वामी ने चालक शिवलाल पिता कोदरा होने का जवाब दिया, लेकिन शिवलाल मोहनलाल का छोटा लडका हो, ऐसी स्थिति नहीं है तथा स्वयं मोहनलाल ना तो साक्ष्य में पेश हुआ है ना ही उसे साक्ष्य सूची में संयोजित ही किया गया है, जिससे वक्त घटना शिवलाल पिता कोदरा ट्रेक्टर को चला रहा हो, यह सन्देह से परे साबित नहीं होता है। आगे तर्क दिया कि चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य भी विरोधाभास लिये हुए है, कोई गवाह ट्रेक्टर खडी अवस्था में होना, कोई धीरे चलना, कोई मोपेड चालक का लकडी के ठूंठ से टकराना, कोई मोपेड की तेज गति चडाव में होने व सन्तुलन बिगडने पर स्वयं गिर जाना बताते है, जिससे भी मुलजिम द्वारा ट्रेक्टर को चलाना साबित नहीं है। तर्क दिया कि दुर्घटनास्थल तिराहा है एवं रोड पर बडे बडे गड्ढे है, जहां तेज गति से भरी हुई ट्रोली के साथ वाहन का संचालन सम्भव नहीं है। मोपेड को लगभग 14 वर्ष आयु का राहुल चला रहा था जिसके पीछे लगभग 15 वर्षीय दीक्षांत का बैठा होना बताया जाता है ऐसी स्थिति में बालक के असन्तुलित होकर गिरने से चोटें आने की परिस्थिति प्रस्तुत साक्ष्य से साबित होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मुलजिम को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध कर दण्डित करने में भारी

अवैधता अनियमितता एवं भूल की गई है। यह भी तर्क दिया कि मोहनलाल का छोटा लडका वयस्क आयु का नहीं था,जिसे बचाने के लिये शिवलाल पिता कोदरा को संलिप्त कर दिया और मामला दर्ज कराने के उपरांत उससे दबाव बना कर 5,30,000/- रूपये भी फरियादी पक्ष ने प्राप्त कर लिखापढी की जिसकी प्रति उनकी ओर से पेश की जा रही है। मजरूब दिक्षांत ने अपील में मुलजिम से समझौता कर राजीनामा धारा-337,338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में पेश कर दिया हैं। अतः जैर अपील निर्णय व दण्डादेश को धारा-279,304 ए भारतीय दण्ड संहिता की हद तक अपास्त कर मुलजिम को आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जावे।

08. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मुलजिम को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध करने में कोई अवैधता अनियमितता एवं भूल नहीं की गई है। जैर अपील आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अपील अपीलार्थी खारिज करने का निवेदन किया।

09. मैने विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न है-

1.क्या मुलजिम ने ट्रेक्टर संख्या-आर.जे.27 आर ए 0608 को तेजगति, उपेक्षा व लापरवाही से चला कर मोपेड पर जा रहे राहुल व दीक्षांत को टक्कर मार कर दुर्घटना कारित की जिसमें राहुल की मृत्यु हो गई व दीक्षांत को साधारण व गम्भीर उपहतियां कारित हुई?

2.यदि कोई अपराध हुआ, तो उसका दण्ड?

10. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विचारणीय प्रश्नों पर निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः-

<u>विचारणीय प्रश्न-**1**</u>

11. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 दिनांक-18.05.2016 को परिवादी खेमराज द्वारा दर्ज कराते हुए उल्लेखित किया कि उसके साले कालुलाल का लडका राहुल अपनी वीकी पर दीक्षांत के साथ गदवास से साठपुर जा रहा था कि साठपुर मोड के पास सामने से ट्रेक्टर नम्बर आर.जे.27 आर ए 0608 को उसका चालक मालिक मोहन कम्पोण्डर का छोटे वाला लडका तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ आया एवं साले के लडके की मोपेड के टक्कर मार दी जिससे राहुल की मौके पर मृत्यु हो गई व दीक्षांत गम्भीर रूप से घायल हो गया। रिपोर्ट में परिवादी ने स्वयं व बंशीलाल का उनके पीछे पीछे आ रहे होना व घटना देखना उल्लेखित किया।

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वक्त दुर्घटना ट्रेक्टर का चालन मोहनलाल कम्पाउण्डर का छोटे वाला लडका तेज गति से कर रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता पी0 ड 0-9 ज्ञानसिह को साक्ष्य में पेश किया जिन्होने दुर्घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-4 पेश बनाना बताया है। परिवादी पी0 ड 0-2 खेमराज जिरह में स्वीकार करता है कि दुर्घटनास्थल के पास देवीलाल, हुरजी, उंकार के मकान बने हुए है। अभियोजन की ओर से पी0 ड 0-7 उंकार, पी0 ड 0-8 देवीलाल व पी0 ड 0-10 हुरजी को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पेश किया गया है, जिनमें से <u>पी0 ड 0-7 उंकार का कथन है</u> कि ट्रेक्टर नागलिया की तरफ से आ रहा था, <u>जो धीरे से आ रहा था, ट्रेक्टर वाला आगे निकल गया और मोपेड वाला पेड के ठूंठे से टकरा गया।</u> मोपेड चालक कालुलाल चौधरी का बच्चा था व ट्रेक्टर मोहनलाल का था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही करार करने पर जिरह में

इसका कथन है कि घाटी में चडाव में मोपेड की रेस तेज करने से सन्तुलन बिगड कर साठपुर आकर दोनों मोपेड सवार राहुल और दीक्षांत गिर गये थे। मोपेड सवार के गिरते ही हुरजी और देवीलाल मौके पर आ गये थे। उक्त लोगों के गिरने पर उन्होने खेमराज चौधरी को सूचना दी थी। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से ट्रेक्टर मोहनलाल का होना लेकिन ट्रेक्टर से कोई दुर्घटना कारित नहीं होना बल्कि मजरूब व मृतक का पेड के ठूंठे से टकराना व घाटी में चडाव में मोपेड की रेस तेज करने से सन्तुलन बिगडकर दोनों का गिरना पाया जाता है। इस गवाह की साक्ष्य से मुलजिम शिवलाल द्वारा ट्रेक्टर का चालन तेज गति, गफलत व लापरवाही से कर राहुल व दीक्षांत की मोपेड को टक्कर मारना नहीं पाया जाता है और गवाह की साक्ष्य से सर्वप्रथम इस गवाह का मौके पर पहुंचना, तत्पश्चात हुरजी देवीलाल का पहुंचना जिनके द्वारा खेमराज को सूचना देना पाया जाता है।

13. पी0 ड 0-8 देवीलाल के अनुसार चौधरी के दो बच्चे विक्की पर आ रहे थे। नागलिया से ट्रेक्टर आ रहा था, ट्रेक्टर साईड में था, जिससे वो जाकर टकरा गये जिससे एक लडके चोट आई थी जिसके घर किसी ने फोन किया तो उसके घर वाले आये व अस्पताल ले गये थे। ट्रेक्टर का चालक कौन था उसे पता नहीं है, ट्रेक्टर मोहनलाल जी का था, कथन किया, जिस पर पक्षद्रोही करार दिया गया, जो जिरह में स्वीकार करता है कि घाटी के वहां पर मोपेड की रेस तेज करने से मोपेड का सन्तुलन बिगड गया था जिससे वो गिर गये थे। गवाह के अनुसार उसने खेमराज को फोन लगाया जो घटना के 20-25 मीनिट बाद आया था। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी ट्रेक्टर मोहनलाल का होना, लेकिन शिवलाल मुलजिम द्वारा ट्रेक्टर चलाकर दुर्घटना कारित करना नहीं पाया जाता है और इसके अनुसार उसने खेमराज को फोन किया जिस पर वह 20-25 मीनिट बाद मौके पर पहुंचा था।

14. पी0 ड 0-10 हुरजी के अनुसार ट्रेक्टर नागलिया की तरफ से आ रहा था जो तेज या धीरे चल रहा था, पता नहीं फिर कहा कि तेज था। गदवास से एक मोटरसाईकिल पर 10-11 साल की उम्र के लडके आ रह थे। किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ उसे पता नहीं है, कथन किया, जिस पर पक्षद्रोही करार दिया। जिरह में गवाह स्वीकार करता है कि ट्रेक्टर रेत से भरा हुआ था जो धीरे धीरे चल रहा था और उसने खेमराज को फोन किया तो दस पन्द्रह मीनिट बाद मौके पर खेमराज व कालुलाल आ गये थे। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी मुलजिम द्वारा ट्रेक्टर चला कर दुर्घटना कारित करना नहीं पाया जाता है लेकिन गवाह द्वारा खेमराज को फोन करने पर दस पन्द्रह मीनिट बाद उसका पहुंचना पाया जाता है।

15. पी0 ड 0-2 खेमराज परिवादी के अनुसार उसके साले का लडका राहुल व दिशांत गदवास से साठपुर मोपेड से जा रहे थे, जिनके पीछे वह व बंशीलाल मोटरसाईकिल से साठपुर जा रहे थे कि बीच रास्ते में सामने से नागलिया की तरफ से एक ट्रेक्टर नम्बर आर.जे.27 0608 तेज गति से आया और मोपेड का टक्कर मार दी जिससे राहुल की मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं दिशांत गम्भीर अवस्था में अस्पताल लाये। इस गवाह ने उपरोक्त साक्षीगण से हट कर ट्रेक्टर मोहन कम्पाउण्डर का होकर शिवलाल पिता कोदरा द्वारा चलाना व ट्रेक्टर चालक की लापरवाही से दुर्घटना घटित होना, जिसकी रिपोर्ट उसने प्रदर्श पी-3 करना बताया है। जिरह में गवाह का कथन है कि बंशीलाल उसका साढू है एवं राहुल व दिशांत उसके साले के लडके है। इस सुझाव को गलत बताया कि दुर्घटना की सूचना उसे हुरजी ने दी हो और वह मौके पर नहीं हो।

16. इस प्रकार परिवादी ने अपने बयान में ट्रेक्टर मोहनलाल का होना बताया, जो तथ्य अन्य चश्मदीद गवाह उंकार व देवीलाल के बयान को सम्पुष्ट करते है। परिवादी के अनुसार ट्रेक्टर को "शिवलाल पिता कोदरा चला रहा था" और उसने दुर्घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 की थी, लेकिन प्रदर्श पी-3 रिपोर्ट में ट्रेक्टर को चालक मालिक मोहनलाल का छोटे वाला लडका होकर तेज गति व लापरवाही से चलाने व टक्कर मारने का उल्लेख है। परिवादी की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जब उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मोहनलाल के छोटे लडके द्वारा ट्रेक्टर को चला कर दुर्घटना कारित करने का उल्लेख किया तब अपने बयान में शिवलाल पिता कोदरा का चालक होना क्योंकर बताया व उसे इस तथ्य की जानकारी किसके द्वारा दी गई थी कि ट्रेक्टर को मोहनलाल का छोटे वाला लडका नहीं चला कर शिवलाल पिता कोदरा चला रहा था,विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि यह गवाह स्वयं को दुर्घटना का चश्मदीद गवाह होना बताता है। प्रथम सूचना में उल्लेखित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मोहनलाल के छोटे वाले लडके को यह गवाह जानता था और इसी आधार पर उसने उसकी पहचान का तथ्य रिपोर्ट में उल्लेखित किया था, लेकिन मुलजिम शिवलाल के पिता का नाम मोहनलाल नहीं है बल्कि शिवलाल के पिता का नाम कोदरा है। इसके अलावा भी मोहनलाल वाहन स्वामी गाडरियावास का रहने वाला है जबकि मुलजिम जवाहरनगर नम्बर-2 थाना धरियावद का निवासी है। अनुसंधान के दौरान मुलजिम शिवलाल की कोई कार्यवाही शिनाख्तगी परिवादी से करवाना भी उजागर नहीं होता है और घटनास्थल के पडौसी व चश्मदीद बताये गये गवाहान उंकार, हुरजी व देवीलाल ने अपने बयानों में दुर्घटना के बाद उनका पहुंचना फिर खेमराज को सूचना देने पर खेमराज का मौके पर पहुंचना प्रकट किया है, ऐसी स्थिति में यह गवाह दुर्घटना का चश्मदीद गवाह रहा हो, यह सन्देह से परे अभियोजन साक्ष्य से स्थापित नहीं होता है।

17. पी0 ड 0-4 बंशीलाल के अनुसार वह और खेमराज परिवादी मोटरासाईकिल से साठपुर जा रहे थे और उनके आगे दीक्षांत व राहुल मोपेड से जा रहे थे। नागलिया की तरफ से एक मिट्टी भरा ट्रेक्टर स्पीड से आया और साठपुर चौराहे पर दीक्षांत व राहुल की मोपेड के ट्रेक्टर ने टक्कर मार दी जिससे राहुल की मौके पर मृत्यु हो गई जिसे होस्पीटल ले गये व एक्सीडेंट में दीक्षांत के भी चोटें आई थी। ट्रेक्टर के नम्बर उसे पता नहीं है। ट्रेक्टर को शिवलाल मीणा चला रहा था। जिरह में यह गवाह स्वीकार करता है कि दीक्षांत व राहुल उसके साले के बच्चे है। दुर्घटनास्थल के आस पास देवीलाल, हुरजी,उंकार के मकान है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य में इसने दुर्घटना कारित करने वाले ट्रेक्टर के नम्बर नहीं बताये लेकिन ट्रेक्टर को शिवलाल द्वारा चलाना बताया है। यह गवाह शिवलाल को पहले से जानता हो,ऐसा स्पष्टीकरण नहीं रहा है। उसे चालक का नाम शिवलाल किसी ने बताया हो,ऐसा गवाह का कथन नहीं रहा है। अनुसंधान के दौरान चालक की शिनाख्तगी कार्यवाही इस गवाह से करवाई हो ऐसी भी अभियोजन की कहानी नहीं रही है। यह गवाह भी घटनास्थल पर देवीलाल, हुरजी व उंकार के मकान होना व दुर्घटना के समय 20-25 लोगों का इकट्ठा होना स्वीकार करता है,जिससे भी उंकार व देवीलाल के इन कथनों को बल मिलता है कि दुर्घटना के बाद उन्होने खेमराज को सूचना दी जिस पर वह मौके पर पहुंचा था ऐसी स्थिति में इस गवाह द्वारा दुर्घटना होते हुए देखना सन्देहास्पद हो जाता है।

18. पी0 ड 0-5 दीक्षांत मजरूब है, जिसके अनुसार वह और उसका भाई राहुल टीवीएस मोपेडसे गदवास से साठपुर जा रहे थे साठपुर बस स्टेण्ड पर सामने से एक ट्रेक्टर अंधाधुंध गति से आ रहा था जिस पर साउण्ड बज रहा था जिसने उनके टक्कर मार दी जिससे राहुल की मौके पर मृत्यु हो

गई। राहुल मोपेड चला रहा था और वह पीछे बैठा था। वह मौके पर बेहोश हो गया था। ट्रेक्टर के नम्बर उसे पता नहीं है। ट्रेक्टर शिवलाल चला रहा था जो उनके पडौसी गांव का ही है ट्रेक्टर चालक की गलती से एक्सीडेंट हुआ था ओर उसके चोंटें आई थी।

19. जिरह में गवाह स्वीकार करता है कि गदवास की तरफ से रामा का मकान की आड आने से नागलिया से आने वाला व्हीकल नहीं दिखता है लेकिन रोड के उपर चढने के बाद वाहन दिखता है। शिवलाल कहां रहता है उसे पता नहीं है। ट्रेक्टर का ड्राईवर शिवलाल होने के बारे में उसे घटना के करीब दो साल बाद पता चला था जो लोगों ने उसे बताया था। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य में ट्रेक्टर के नम्बर प्रकट नहीं हुए है। गवाह ट्रेक्टर को शिवलाल द्वारा चलाना और उसकी गलती से एक्सीडेंट होना प्रकट करता हैं लेकिन जिरह में स्वीकार करता है कि शिवलाल कहां रहता है उसे पता नहीं है, ट्रेक्टर का ड्राईवर शिवलाल होने के बारे में उसे घटना के करीब दो साल बाद पता चला था जो लोगों ने बताया था। यह गवाह सहज रूप से स्वीकार करता है कि गदवास की तरफ से रामा के मकान की आड होने से नागलिया से आना वाला व्हीकल नहीं दिखता है। अनुसंधान के दौरान इस गवाह से मुलजिम की शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं करवाई गई है और यह गवाह भी जिरह में देवीलल, हुरजी,उंकार के मकान दुर्घटनास्थल के पास होना स्वीकार करता है, जिससे इसकी साक्ष्य से मुलजिम शिवलाल पिता कोदरा द्वारा ट्रेक्टर को चला कर दुर्घटना करने का तथ्य सन्देह से परे स्थापित नहीं होता है।

20. पी0 ड 0-9 ज्ञानसिंह अनुसंधानकर्ता जिरह में स्वीकार करता है कि नागलिया की तरफ से आने वाली रोड की स्थिति सही नहीं है,टूटा फुटा है और गदवास की तरफ से आने वाला रोड सीसी रोड बना हुआ है, जिससे भी नागलिया बांध की तरफ से आने वाले वाहन का तेज गति से वाहन का संचालन होने की परिस्थिति उजागर नहीं होती है। मजरूब दीक्षांत अपनी साक्ष्य में ट्रेक्टर से तेज गति का साउण्ड बजना बताया, लेकिन मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 के अवलोकन से जब्तशुदा ट्रेक्टर पर कोई म्यूजिक सिस्टम लगा हो,ऐसा दर्शित नहीं होता है।

21. प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाहान की साक्ष्य से ट्रेक्टर मोहनलाल कम्पाउण्डर का होना बताया गया है। अनुसंधानकर्ता पी0 ड 0-9 ज्ञानसिंह के अनुसार उसने वाहन स्वामी मोहनलाल को धारा-133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी-11 दिया था जिसमें वाहन स्वामी ने ट्रेक्टर का चालक शिवलाल पिता कोदरा होने का जवाब दिया था,जो तथ्य प्रदर्श पी-11 पर वाहन की ओर से दिये गये जवाब से प्रकट होता है,लेकिन उक्त वाहन स्वामी से अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई पूछताछ नहीं की, कोई बयान नहीं लिये, उसे साक्ष्य सूची में संयोजित नहीं किया ना ही उसे अभियोजन ने साक्ष्य में पेश ही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ट्रेक्टर को मोहनलाल के छोटे वाले लडके द्वारा चला कर दुर्घटना कारित करने का उल्लेख किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त वाहन स्वामी मोहनलाल का छोटे वाला लडका कौन है, इस बारे में अनुसंधान मौन है एवं अनुसंधानकर्ता ने मोहनलाल के छोटे वाले लडके व मुलजिम को साथ में पेश कर मजरूब व गवाहान से शिनाख्तगी कार्यवाही भी नहीं करवाई गई है। यदि अभियोजन वाहन स्वामी मोहनलाल को साक्ष्य में उपस्थित करता तो उससे बचाव पक्ष को प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्य के सम्बन्ध में जिरह का अवसर प्राप्त होता, लेकिन ऐसा अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है।

22. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दुर्घटना, ट्रेक्टर संख्या आर.जे.27 आर.ए. 0608 के मृतक राहुल द्वारा चलाई जा रही मोपेड के टकराने से होना प्रस्तुत साक्ष्य से सन्देह से परे

साबित नहीं होता है एवं बरवक्त दुर्घटना मुलजिम शिवलाल पिता कोदरा उक्त ट्रेक्टर को चला रहा हो, यह तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं होता है। दुर्घटना में लिप्त उक्त ट्रेक्टर बरवक्त दुर्घटना बीमित नहीं होना अभियोजन की ओर से बताया गया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष नहीं कर पाया है, लेकिन वाहन स्वामी मोहनलाल को मुलजिम नहीं बनाया गया है। यदि वाहन स्वामी ने स्वयं के ट्रेक्टर का बीमा नहीं होते हुए वाहन संचालन हेतु सुपुर्द किया तो मोटर वाहन अधिनियम की उक्त धारा के तहत वाहन स्वामी भी उत्तरदायी है, लेकिन उसे मुलजिम नहीं बनाया गया है एवं साक्ष्य से वक्त दुर्घटना मुलजिम द्वारा वाहन का संचालन करना सन्देह से परे साबित नहीं होता है। फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मुलजिम को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध कर दण्डित करने में मेरे विनम्र मत में भारी अवैधता अनियमितता एवं भूल करना पाया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आ दे श

23. अपीलार्थी/मुलजिम शिवलाल पिता कोदरा निवासी जवाहरनगर थाना धरियावद द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व दण्डादेश दिनांक-23.09.2022 को अपास्त किया जाता है। मुलजिम को धारा-337,338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है एवं धारा-279,304 ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा-146/196 मोटर वाहन अधिनियम के आरोप से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

24. अपीलार्थी जमानत पर आजाद हैं, जिसकी ओर से धारा-481 बीएनएसएस के तहत जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक कराये जा चुके है।

निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

(आशा कुमारी)
सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़

25. निर्णय आज दिनांक-21.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशा कुमारी)
सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़

ALPESH KUMAR NAGAR
Digitally signed by ALPESH KUMAR NAGAR
Date: 2026.08.24 12:21:18 +0530